5

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी 995-III-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 201—

107
16.4.15

लल्लू प्रसाद गुप्ता तनय स्व. रामदेव गुप्ता, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम–लौआ उर्फ लक्ष्मणपुर, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

————आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम्

छोटेलाल गुप्ता तनय स्व. रामदेव गुप्ता, ग्राम–लौआ उर्फ लक्ष्मणपुर, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

————अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

श्री. प्रदीप त्रिपाठी एड. के द्वारा आज दिनांक. 16.4.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5142
रजि... आज
दिनां... प्राप्त
23-4-15
राजस्व ... ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला–रीवा दिनांक 16.03.2015 जो प्रकरण क्र. 14अ–74/13–14 में पारित किया जाकर अनावेदक का नक्शा सुधार का आवेदन स्वीकार किया गया।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न है :–

1. यह कि भूमि खसरा नं. 758/1 रकवा 0.056 हेक्टेयर का स्वत्व, स्वामित्व व अधिपत्यधारी इस प्रकरण का अनावेदक छोटेलाल गुप्ता है तथा आराजी खसरा नं. 758/2 रकवा 0.056 हे. का स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्यधारी आवेदक लल्लू प्रसाद गुप्ता है। आवेदक एवं अनावेदक के मध्य हुए आपसी विभाजन में उत्तर तरफ आवेदक को हक व हिस्सा प्राप्त हुआ था तथा दक्षिण तरफ अनावेदक को हिस्सा प्राप्त हुआ था। भूमि खसरा नं. 758/1 एवं 758/2 उत्तर–दक्षिण लम्बी है जिसका विभाजन 50 वर्ष पूर्व उभयपक्षों के

निग०   लल्लू प्रताप गुप्ता / छोटेलाल गुप्ता
R. 995-तीन/15 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
9.6.15 (18) 104	1- प्रकरण राजस्व मण्डल, मुख्यालय ग्वालियर से पंजीयत होकर प्राप्त 2- आवेदक की कायमी पर सुनवाई हेतु सूचित किया जावे 3- वास्ते कायमी पर तक। पेशी दिनांक 8.9.15 आ० ब्रा० से० रीडर	14.6. 15.9.15
20.8.15 (65)	1- आवेदक की ओर से श्री प्रदीप त्रिपाठी एड० उपस्थित होकर प्रकरण मे शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया गया। 2- प्रकरण कायमी पर सुनवाई हेतु दिनांक 15-9-15 को पेश हो। 3- वास्ते कायमी पर तर्क पेशी तारीख 15-9-15 सदस्य.	
15.9.15	निगरानीकार के अधिवक्ता को कायमी के बिन्दु पर सुना गया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। 2. यह निगरानी नक्शा तरमीम के आदेश दिनांक 16.3.15 के विरुद्ध इस न्यायालय में दायर की गई है। जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया है कि निगरानीकार को बिना सूचना दिये ही उसकी अनुपस्थिति में बाला-बाला नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गई है।	

शाक्षेमुग्वा-80-फासेग्वा-15-6-10-5,000 प्रपत्र.

XXXIX(a)-BR(H)-11

106

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 995-III/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3- निगरानी ज्ञापन के साथ प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 16.3.15, नक्शा तरमीम का प्रतिवेदन, सूचना-पत्र एवं स्थल पंचनामा की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई हैं जिनके अवलोकन करने पर पाया गया कि सूचना-पत्र में ललक प्रसाद [illegible] यानी निगरानीकार को कहीं सूचित नहीं किया गया है तथा स्थल पंचनामा में भी उसके हस्ताक्षर नहीं बने हैं। यद्यपि तहसीलदार के समक्ष उसके द्वारा आपत्ति की गई थी, किन्तु तहसीलदार ने भी यह नहीं देखा कि निगरानीकर्ता यानी आपत्तिकर्ता को नक्शा तरमीम की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सूचित किया गया है अथवा नहीं और नक्शा तरमीम की कार्यवाही से सन्तुष्ट होकर उसकी पुष्टि कर दिया। 4. उपरोक्त स्थिति में निगरानीकर्ता को सूचना दिये बगैर किया गया नक्शा तरमीम एवं उसकी पुष्टि कर	

[कृ. प. उ.

R 995-III/115

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरणाधीन आदेश दिनांक 16.3.15 अधीनस्थ से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि निगरानीकार एवं अन्य हितधारी भूमिस्वामियों को विधिवत सूचना देकर एवं उनकी आपत्ति पर विचार करते हुए पुनः नया नामांतरण की कार्यवाही करें।	
	5. प्रकरण पंजी से खारिज हो। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाय। तत्पश्चात् प्रकरण अभिलेखागार भेजा जाय।	
	सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.